

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Some complaints have been received and these are being looked into.

आमों की नई किस्म

1116. श्री नवाब सिंह जौहान : क्या हृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'नीलम' तथा 'दशहरी' आमों के संकरण से जो नयी किस्म तैयार की गयी उसके कितने पौधे तैयार करके केन्द्रीय पौधशालाओं (नर्मगियों) को लगाने के लिए दिए जा चुके हैं और इन्हे तैयार करने का काम किस-किस स्थान पर किया जा रहा है ; और

(ख) किन अंतरों में इस किस्म के आम की अधिक मांग है ?

हृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजोत सिंह बरनाला) : (क) मन्त्रिका किस्म, जो नीलम और दशहरी आमों के संकरण से तैयार की गई है, की छः सौ चतुर्मयुक्त बनामें (बड़े मिट्टियम) गत वर्ष दो के द्वितीय मम्फानों तथा नी हृषि विश्वविद्यालयों व अनुमधान केन्द्रों को दी गई है। हमके प्रतिरिक्त, 48 कलम चड़े पौधे प्रोप्रेसिव ग्रोग्रम को, 20 पौधे परिचालन अनुमधान प्रायोजनाओं के अधीन कार्यरत केन्द्रों को तथा 108 पौधे विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु दिए गए हैं। इन केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अपनी पौधशालाओं (नर्मगियों) में इनका प्रचार करेंगे। बतंमान मिथ्यि में, इन पौधों की सध्या भागीदारी हृषि अनुमधान संस्थान, नई दिल्ली में बड़ी जा रही है।

(ख) इस किस्म की मांग देश के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी है।

विश्वविद्यालयों कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्राप्तिकर्ता

1117. श्री नवाब सिंह जौहान : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को, यदि वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों, कोई प्राप्तिकर्ता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में नियम क्या है और क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है। यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकलें।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मेरे (ग) विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेन्चरारों के पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों हेतु प्रारक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित प्रक्रिय की सिफारिश की है—

(1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को लेन्चरारों के पदों पर भर्ती के लिए उस वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों को निर्धारित कर लेना चाहिए।